प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक- 27.08.2026

थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना उदयपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना उदयपुर के उ0नि0 अमित द्विवेदी मय हमराह का0 जीयन कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन, तलाश वांछित, वारंटी दौरान जारी गैर जमानतीय वारन्ट सेशन ट्रायल 45/2017 राज्य बनाम संतोष कुमार सिंह आदि थाना उदयपुर प्रतापगढ से सम्बन्धित 01 वारण्टी अभियुक्त सोनू वर्मा उर्फ गणेश पुत्र परमेश्वर प्रसाद वर्मा निवासी ग्राम भवानी सिंह का पुरवा कुम्भीआईमा थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 31 वर्ष को ग्राम कुम्भी आइमा में
भारतीय स्टेट बैंक के पास गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. सोनू वर्मा उर्फ गणेश पुत्र परमेश्वर प्रसाद वर्मा निवासी ग्राम भवानी सिंह का पुरवा कुम्भीआईमा थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 31 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अमित द्विवेदी मय हमराह का0 जीयन कुमार थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा 01 किलो 210 ग्राम नाजायज गांजा व बिक्री के 11,080 रुपये के साथ 01 अभियुक्त श्यामजी मिश्रा को किया गया गिरफ्तार-

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मुन्दीपुर रानापट्टी स्थित उसकी किराने की दुकान से गिरफ्तार किया गया-

जनपद प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में "ऑपरेशन प्रहार" प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध सतत एवं कठोर कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री करने वाले अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिवनारायन वैस के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी मानिकपुर श्री पंकज कुमार राय के नेतृत्व में उ0नि0 अमित कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 मनोज कुमार पाण्डेय, का0 रामदेव गौतम, का0 भीमराव व रि0म0का0 सुष्मिता सिंह द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग एवं रोकथाम जुर्म जरायम के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0सं0 219/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट से संबंधित 01 अभियुक्त श्यामजी मिश्रा श्रा पुत्र स्व0 रामजी मिश्रा नि0 मुन्दीपुर रानापट्टी थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 58 वर्ष को ग्राम मुन्दीपुर रानापट्टी स्थित उसकी किराने की दुकान से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे/दुकान से कुल 01 किलो 210 ग्राम नाजायज गांजा तथा जामातलाशी में बिक्री के 11,080 रुपये बरामद हुए।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. श्यामजी मिश्रा श्रा पुत्र स्व0 रामजी मिश्रा नि0 मुन्दीपुर रानापट्टी थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 58 वर्ष।

बरामदगी-
कुल 01 किलो 210 ग्राम नाजायज गांजा।
बिक्री के कुल 11,080 रुपये।

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-
1. मुकदमा अपराध संख्या 27/97 धारा 20 एनडीपीएस एक्ट थाना मानिकपुर प्रतापगढ़
2. मु0अ0सं0 219/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 अमित कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 मनोज कुमार पाण्डेय, का0 रामदेव गौतम, का0 भीमराव व रि0म0का0 सुष्मिता सिंह थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत थाना बाघराय पुलिस द्वारा 01 किलो 100 ग्राम नाजायज गांजा के साथ 01 अभियुक्त संजय सरोज को किया गया गिरफ्तार-

थाना बाघराय पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत डिहवा बिहार शकरदहा मार्ग ओवरब्रिज के नीचे से गिरफ्तार किया गया-

जनपद प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में "ऑपरेशन प्रहार" प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध सतत एवं कठोर कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री करने वाले अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी बाघराय श्री श्रवण कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 सत्यम तिवारी मय उ0नि0 दिनेश कुमार, का0 मानवेन्द्र सिंह, रि0का0 रजनीश कुमार व रि0का0 धनेश सरोज द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग एवं रोकथाम जुर्म जरायम के दौरान मु0अ0सं0-225/2026 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट से संबंधित 01 अभियुक्त संजय सरोज पुत्र कमलेश सरोज नि0 अनावा थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 34 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत डिहवा बिहार शकरदहा मार्ग ओवरब्रिज के नीचे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 किलो 100 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. संजय सरोज पुत्र कमलेश सरोज नि0 अनावा थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 34 वर्ष।

बरामदगी-

कुल 01 किलो 100 ग्राम नाजायज गांजा।

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 225/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 सत्यम तिवारी मय उ0नि0 दिनेश कुमार, का0 मानवेन्द्र सिंह, रि0का0 रजनीश कुमार व रि0का0 धनेश सरोज थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

चोरी की 32.5 मीट्रिक टन सरिया बरामद, चोरी के माल को खरीदकर खपाने वाले 05 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना मान्धाता पुलसि द्वारा चोरी की 32.5 मीट्रिक टन सरिया के साथ 05 अभियुक्तों, धर्मेन्द्र पटेल, अरविन्द यादव, नौशाद, संजय शुक्ला उर्फ सुशील शुक्ला, रामअजोर पटेल को गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण

वादी निवासी ग्राम सुल्तापुर, थाना मऊआइमा, जनपद प्रयागराज द्वारा झुमरी तिलैया, कोडरमा, झारखण्ड से 41.760 मीट्रिक टन सरिया ट्रक संख्या UP70PT8849 पर चालक गुलजार के माध्यम से मंगाई गई थी। वादी के अनुसार चालक को सरिया सतारा, महाराष्ट्र में उतारने हेतु बताया गया था, किंतु चालक द्वारा माल को निर्धारित स्थान पर न पहुंचाकर उत्तर प्रदेश ले आया गया। बाद में वादी के कहने पर सरिया गुप्ता ट्रेडर्स, बहरिया, प्रयागराज में उतारने को कहा गया, परंतु गुप्ता ट्रेडर्स द्वारा सरिया प्राप्त होने से इंकार किया गया। चालक द्वारा वादी को लगातार गुमराह करते हुए अलग-अलग स्थानों की जानकारी दी गई तथा बाद में सरिया किसी पार्टी को उतार देने की बात कही गई, जिसकी पुष्टि संबंधित पार्टी द्वारा नहीं की गई। दिनांक 21.08.2026 से 25.08.2026 तक सरिया न पहुंचने एवं चालक द्वारा संतोषजनक जानकारी न देने पर वादी को आशंका हुई कि चालक द्वारा सरिया को किसी अज्ञात स्थान पर चोरी से बेच दिया गया है। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मान्धाता पर मु0अ0सं0 108/2026, धारा 303(2), 316(3), 318(4) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्यवेक्षण/ नेतृत्व में थाना प्रभारी मान्धाता श्री धनन्जय राय मय हमराह उ0नि0 अनूप यादव, का0 शिवराम मिश्रा, का0 हरिपाल, रि0म0का0 पूजा यादव-1 मय चालक अ0उ0नि0/चालक रतन लाल त्रिपाठी द्वारा मु0अ0सं0 108/2026, धारा 303(2), 316(3), 318(4) बीएनएस से संबंधित 05 अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं चोरी गए माल की बरामदगी हेतु प्रभावी कार्यवाही की गई।

पुलिस टीम द्वारा पूछताछ एवं अभियुक्त रामअजोर पटेल की निशानदेही पर विभिन्न स्थानों पर दबिश/तलाशी लेते हुए चोरी की सरिया खरीदने एवं अपने पास रखने वाले अभियुक्तों के कब्जे/दुकान/गोदाम से कुल 32.5 मीट्रिक टन चोरी की सरिया बरामद की गई। बरामद सरिया पर “गिरधर एनईएक्सटी” अंकित है, जिसकी पहचान वादी मुकदमा द्वारा चोरी गए माल के रूप में की गई। इस कार्यवाही के दौरान चोरी के माल को खरीदने/रखने के आरोप में 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

थाना मान्धाता पर पंजीकृत मु0अ0सं0 108/2026, धारा 303(2), 316(3), 318(4) बीएनएस में विवेचना के दौरान प्रकाश में आए तथ्यों एवं बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 317(2), 317(4) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है। विवेचना के दौरान आपराधिक षड्यंत्र एवं चोरी के माल की खरीद-फरोख्त में संलिप्त अन्य व्यक्तियों के नाम भी प्रकाश में आए हैं, जिनके विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ एवं बरामदगी का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त रामअजोर पटेल से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि उसे चोरी की सरिया इमरान पुत्र मुस्सन, निवासी ग्राम नौवापुर, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा कम कीमत पर उपलब्ध कराई गई थी। रामअजोर द्वारा चोरी की सरिया को विभिन्न व्यक्तियों को कम दाम पर बिक्री करने की बात बताई गई तथा उसके द्वारा संबंधित स्थानों की निशानदेही कराई गई।

1. धर्मेन्द्र पटेल के गोदाम से बरामदगी-
रामअजोर पटेल की निशानदेही पर ग्राम होला का पुरवा, थाना जेठवारा स्थित पटेल सीमेंट एजेंसी पहुंचकर धर्मेन्द्र पटेल से पूछताछ की गई। पूछताछ में धर्मेन्द्र पटेल द्वारा रामअजोर से चोरी की सरिया प्राप्त करना बताया गया तथा अपने गोदाम में रखी सरिया बरामद कराई गई।
बरामदगी — लगभग 1.5 मीट्रिक टन सरिया।

2. अरविन्द यादव के कब्जे से बरामदगी
इसके पश्चात रामअजोर पटेल की निशानदेही पर ग्राम लक्ष्मीगंज बाजार, थाना जेठवारा पहुंचकर अरविन्द यादव से पूछताछ की गई। उसके द्वारा रामअजोर से चोरी की सरिया कम कीमत पर प्राप्त करना बताया गया तथा दुकान के सामने पन्नी से ढकी सरिया बरामद कराई गई।
बरामदगी — लगभग 3.0 मीट्रिक टन सरिया।

3. नौशाद के गोदाम से बरामदगी
रामअजोर की निशानदेही पर ग्राम लोकापुर वीरसिंहपुर, थाना जेठवारा स्थित नौशाद के गोदाम पर पहुंचकर पूछताछ की गई। नौशाद द्वारा रामअजोर से चोरी की सरिया सस्ते दाम पर प्राप्त करना बताया गया तथा गोदाम में रखी सरिया बरामद कराई गई।
बरामदगी — लगभग 3.0 मीट्रिक टन सरिया।

4. संजय शुक्ला उर्फ सुशील शुक्ला के गोदाम से बरामदगी
इसके पश्चात ग्राम भावनपुर डेरवा, थाना जेठवारा स्थित संजय शुक्ला उर्फ सुशील शुक्ला के गोदाम पर पहुंचकर पूछताछ की गई। उसके द्वारा रामअजोर से चोरी की सरिया सस्ते दर पर प्राप्त करना बताया गया तथा गोदाम में रखी सरिया बरामद कराई गई।
बरामदगी — लगभग 1.5 मीट्रिक टन सरिया।

5. रामअजोर पटेल के घर से बरामदगी
अभियुक्त रामअजोर पटेल से शेष चोरी के माल के संबंध में पूछताछ की गई। उसकी निशानदेही पर ग्राम नन्दा का पुरवा, कटरा गुलाब सिंह, थाना जेठवारा स्थित उसके घर के बेसमेंट में बने गोदाम से लगभग 16.0 मीट्रिक टन चोरी की सरिया बरामद की गई।
बरामद सरिया की पहचान वादी मुकदमा द्वारा चोरी गए माल के रूप में की गई।
सभी अभियुक्तों को धारा 317(2), 317(4) बीएनएस से अवगत कराते हुए गिरफ्तार किया गया।

अन्य स्थानों से बरामदगी-
विवेचना एवं पूछताछ के दौरान रामअजोर पटेल द्वारा अन्य व्यक्तियों को भी चोरी की सरिया बिक्री हेतु दिए जाने की जानकारी दी गई। इसके आधार पर—
राजकुमार त्रिपाठी की दुकान से लगभग 3.0 मीट्रिक टन सरिया बरामद हुई।
देवीशंकर मिश्रा की दुकान से लगभग 4.5 मीट्रिक टन सरिया बरामद हुई।

उक्त दोनों व्यक्तियों की मौके पर तलाश की गई, परन्तु वे मौजूद नहीं मिले। उनके संबंध में नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।
इसके अतिरिक्त मनोज शुक्ला एवं उमेश पटेल के संबंध में भी चोरी की सरिया प्राप्त करने की जानकारी प्रकाश में आई है। बरामदगी एवं विवेचना के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण
1. धर्मेन्द्र पटेल पुत्र रामजीवन पटेल, निवासी ग्राम होला का पुरवा, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 35 वर्ष।
2. अरविन्द यादव पुत्र इन्द्रबहादुर यादव, निवासी ग्राम लक्ष्मीगंज बाजार, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 39 वर्ष।
3. नौशाद पुत्र मो0 ईसा, निवासी ग्राम लोकापुर वीरसिंहपुर, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 32 वर्ष।
4. संजय शुक्ला उर्फ सुशील शुक्ला पुत्र शिवमूर्ति शुक्ला, निवासी ग्राम भावनपुर डेरवा, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 48 वर्ष।
5. रामअजोर पटेल पुत्र समयनाथ/समयलाल पटेल, निवासी ग्राम नन्दा का पुरवा, कटरा गुलाब सिंह, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 52 वर्ष।

बरामदगी का विवरण
धर्मेन्द्र पटेल के गोदाम से — 1.5 मीट्रिक टन सरिया।
अरविन्द यादव की दुकान के सामने से — 3.0 मीट्रिक टन सरिया।
नौशाद के गोदाम से — 3.0 मीट्रिक टन सरिया।
संजय शुक्ला उर्फ सुशील शुक्ला के गोदाम से — 1.5 मीट्रिक टन सरिया।
राजकुमार त्रिपाठी की दुकान से — 3.0 मीट्रिक टन सरिया।
देवीशंकर मिश्रा की दुकान से — 4.5 मीट्रिक टन सरिया।
रामअजोर पटेल के बेसमेंट स्थित गोदाम से — 16.0 मीट्रिक टन सरिया।

कुल बरामदगी — 32.5 मीट्रिक टन चोरी की सरिया।

पुलिस टीम
थाना प्रभारी मान्धाता श्री धनन्जय राय मय हमराह उ0नि0 अनूप यादव, का0 शिवराम मिश्रा, का0 हरिपाल, रि0म0का0 पूजा यादव-1 मय चालक अ0उ0नि0/चालक रतन लाल त्रिपाठी थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़।

नोट- गिरफ्तारी एवं बरामदगी की सम्पूर्ण कार्यवाही के दौरान मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा निर्गत आदेशों/निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। बरामद माल को सुरक्षित अभिरक्षा में थाना मान्धाता लाकर दाखिल किया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना उदयपुर पुलिस द्वारा साइकिल चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण, 03 अभियुक्त गिरफ्तार एवं चोरी की 07 साइकिलें बरामद

प्रतापगढ़ पुलिस — नशे की लत के चलते साइकिल चोरी कर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश
अन्तर्जनपदीय अभियुक्तों पर जनपद रायबरेली, जनपद प्रतापगढ़ में चोरी, अपहरण, पॉक्सो एक्ट, आर्म्स एक्ट, आबकारी अधिनियम जैसे गंभीर अपराध पंजीकृत है-

घटना का संक्षिप्त विवरण
दिनांक 26.08.2026 को वादी जय सिंह, निवासी ग्राम मठिया किशुनगढ़, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा तहरीर दी गई कि दोपहर करीब 02:00 बजे अज्ञात चोरों द्वारा उनके घर के बाहर खड़ी उनकी तथा उनके पुत्र की 02 साइकिलें चोरी कर ली गई हैं। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना उदयपुर पर मु0अ0सं0-168/2026, धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस टीम गठित की गई थी।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के कुशल पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी उदयपुर श्री दीपनारायण के नेतृत्व में थाना उदयपुर पुलिस द्वारा साइकिल चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे एवं उनकी निशानदेही पर चोरी की कुल 07 साइकिलें बरामद की गई हैं।

दिनांक 27.08.2026 को उ0नि0 अमित द्विवेदी मय हमराह का0 जीयन कुमार, का0 प्रमोद कुमार, का0 गोपाल गिरि एवं का0 अखिलेश कुमार पाण्डेय द्वारा क्षेत्र में भ्रमण एवं विवेचना के दौरान कुम्भी आइमा मोड़ अठेहा के पास मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि बूढ़े बाबा थान से पूरे भोजई की ओर जाने वाले मार्ग पर तीन व्यक्ति चोरी की साइकिलें बेचने की फिराक में खड़े हैं।

सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई तथा तीनों व्यक्तियों को साइकिलों सहित पकड़ लिया गया। पूछताछ एवं निशानदेही के आधार पर उनके कब्जे से मौके पर 03 साइकिलें तथा निकट स्थित बाग/झाड़ियों में छिपाकर रखी गई 04 अन्य साइकिलें, कुल 07 चोरी की साइकिलें बरामद की गईं।

बरामद साइकिलों में से 02 साइकिलों की पहचान वादी मुकदमा जय सिंह द्वारा अपनी चोरी हुई साइकिलों के रूप में की गई। इसके अतिरिक्त ग्राम कुम्भी आइमा निवासी ओमप्रकाश पुत्र ललई द्वारा बरामद एक हरक्यूलिस साइकिल की पहचान अपनी करीब 15 दिन पूर्व चोरी हुई साइकिल के रूप में की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

1. रवि मौर्या पुत्र रामप्रसाद, निवासी ग्राम पूरे मतऊ लहंगा, थाना नसीराबाद, जनपद रायबरेली, उम्र करीब 26 वर्ष।
2. लाल जी पटेल पुत्र रामफल, निवासी ग्राम छोटी ओलीपुर सण्डहा, थाना नसीराबाद, जनपद रायबरेली, उम्र करीब 25 वर्ष।
3. धर्मेन्द्र सरोज पुत्र रुपलाल, निवासी ग्राम छोटी ओलीपुर सण्डहा, थाना नसीराबाद, जनपद रायबरेली, उम्र करीब 32 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-
01- अभियुक्त रवि मौर्या पुत्र रामप्रसाद निवासी ग्राम पूरे मतऊ लहंगा थाना नसीराबाद जनपद रायबरेली का आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0- 67/17, धारा- 323/504/506 भादवि, थाना- नसीराबाद, जनपद- रायबरेली।
2. मु0अ0सं0- 104/17, धारा- 323/504/506 भादवि, थाना- नसीराबाद, जनपद- रायबरेली।
3. मु0अ0सं0- 119/21, धारा- 60 आबकारी अधिनियम, थाना- नसीराबाद, जनपद- रायबरेली।
4. मु0अ0सं0- 53/23, धारा- 379/411 भादवि, थाना- नसीराबाद, जनपद- रायबरेली।
5. मु0अ0सं0- 335/23, धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना- नसीराबाद, जनपद- रायबरेली।
6. मु0अ0सं0-168/2026, धारा 303(2) बीएनएस थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

02- लालजी पटेल पुत्र रामफल निवासी ग्राम छोटी ओलीपुर सण्डहा थाना नसीराबाद जनपद रायबरेली—
1. मु0अ0सं0- 147/17, धारा- 363/366 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट, थाना- नसीराबाद, जनपद- रायबरेली।
2. मु0अ0सं0- 258/23, धारा- 379/411 भादवि, थाना- नसीराबाद, जनपद- रायबरेली।
3. मु0अ0सं0-168/2026, धारा 303(2) बीएनएस थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

03- धर्मेन्द्र सरोज पुत्र रूपलाल निवासी ग्राम छोटी ओलीपुर सण्डहा थाना नसीराबाद जनपद रायबरेली—
1. मु0अ0सं0- 291/20, धारा- 60 आबकारी अधिनियम, थाना- नसीराबाद, जनपद- रायबरेली।
2. मु0अ0सं0-168/2026, धारा 303(2) बीएनएस थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी का विवरण-
अभियुक्तों के कब्जे एवं उनकी निशानदेही पर कुल 07 अदद चोरी की साइकिलें बरामद की गईं, जिनमें हीरो, हरक्यूलिस, एटलस एवं KW कंपनी की साइकिलें शामिल हैं।

पूछताछ में प्रकाश में आया
प्रारम्भिक पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे तीनों मिलकर साइकिल चोरी करते थे तथा चोरी की साइकिलों को राहगीरों को बेचकर प्राप्त धनराशि आपस में बांट लेते थे। अभियुक्तों द्वारा मठिया गांव से 02 साइकिलें चोरी करने तथा अन्य स्थानों से भी साइकिल चोरी कर उन्हें झाड़ियों एवं बाग में छिपाकर रखने की बात बताई गई। अभियुक्तों की निशानदेही पर ही शेष 04 साइकिलें बरामद की गईं।

अभियुक्तों के विरुद्ध पूर्व में भी चोरी, आबकारी एवं आर्म्स एक्ट सहित अन्य अभियोग पंजीकृत होना प्रकाश में आया है।

पुलिस टीम
उ0नि0 अमित द्विवेदी मय हमराह का0 जीयन कुमार, का0 प्रमोद कुमार, का0 गोपाल गिरि, का0 अखिलेश कुमार पाण्डेय थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध निरंतर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी सफलता: थाना अन्तू पुलिस द्वारा चोरी की मारुति फ्रांस कार के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में थाना अन्तू पुलिस द्वारा चोरी की कार को बेचने का प्रयास कर रहे 03 अभियुक्त मोहम्मद कैफ, अफसार अहमद, आकिब अली को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 01 अदद मारुति फ्रांस कार बरामद की गई ।

प्रतापगढ़।
थाना अन्तू क्षेत्रान्तर्गत अमेठी रोड पुलिस बैरियर पश्चिमगांव किठावर पर चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन एवं रोकथाम जुर्म-जरायम के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर चोरी की कार को बेचने के उद्देश्य से ले जा रहे 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 01 अदद मारुति फ्रांस कार बरामद की गई।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी अन्तू श्री अभिषेक सिरोही के नेतृत्व में चौकी प्रभारी किठावर उ0नि0 रविन्द्र कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 विजय कुमार त्रिवेदी, का0 अवधेश यादव, का0 कन्हैया विश्वकर्मा, का0 पवन मौर्य व का0 अनुराग चौरसिया द्वारा अमेठी रोड पुलिस बैरियर पश्चिमगांव किठावर पर चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास की सूचना पर अमेठी की ओर से आ रही सफेद रंग की मारुति फ्रांस कार को रोककर चेक किया गया। कार में सवार 03 अभियुक्तों 1. मोहम्मद कैफ पुत्र इस्लाम उम्र करीब 20 वर्ष निवासी रामपुर बंथरी थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़, 2. अफसार अहमद पुत्र रियासत अली उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम चन्दुआडीह थाना कोहड़ौर जनपद प्रतापगढ़, 3. आकिब अली पुत्र नासिर अली उम्र करीब 20 वर्ष निवासी जमुहा थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया। कार के संबंध में वाहन स्वामी से दूरभाष पर जानकारी करने पर उक्त वाहन को चोरी का होना बताया गया तथा थाना नवाबगंज, प्रयागराज में मु0अ0सं0

283/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत होना पाया गया। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा उक्त कार को दिनांक 16.08.2026 को कंजिया, नवाबगंज, प्रयागराज से चोरी करना तथा उसे बेचने का प्रयास करना बताया गया।

अभियुक्तों के कब्जे से बरामद चोरी की कार के संबंध में थाना अन्तू में मु0अ0सं0 224/2026 धारा 317(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. मोहम्मद कैफ पुत्र इस्लाम, उम्र करीब 20 वर्ष, निवासी रामपुर बंथरी थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़।
2. अफसार अहमद पुत्र रियासत अली, उम्र 23 वर्ष, निवासी ग्राम चन्दुआडीह थाना कोहड़ौर जनपद प्रतापगढ़।
3. आकिब अली पुत्र नासिर अली, उम्र करीब 20 वर्ष, निवासी जमुहा थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

चोरी की 01 अदद मारुति फ्रांस कार ।

पुलिस टीम का विवरण-

चौकी प्रभारी किठावर उ0नि0 रविन्द्र कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 विजय कुमार त्रिवेदी, का0 अवधेश यादव, का0 कन्हैया विश्वकर्मा, का0 पवन मौर्य व का0 अनुराग चौरसिया, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा "शादी का झांसा देकर दुष्कर्म" के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त रितेश गुप्ता को दहिलामऊ मोड़, मदर हॉस्पिटल के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया-कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में उ0नि0 अंकित कुमार तिवारी मय हमराह का0 सागर सिंह द्वारा तलाश वांछित अभियुक्त एवं देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर अन्तर्गत धारा 69/126(2)/115(2)/352/351(3) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त रितेश गुप्ता पुत्र दातादीन गुप्ता नि0 दहिलामऊ थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष को दहिलामऊ मोड़, मदर हॉस्पिटल के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. रितेश गुप्ता पुत्र दातादीन गुप्ता नि0 दहिलामऊ थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 अंकित कुमार तिवारी मय हमराह का0 सागर सिंह, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना लालगंज पुलिस ने 24 घंटे में मोटरसाइकिल चोरी की घटना का किया सफल अनावरण, 02 अभियुक्त गिरफ्तार-

चोरी की एच.एफ. डिलक्स मोटरसाइकिल बरामद, बेचने की फिराक में थे अभियुक्त(02 अभियुक्त गिरफ्तार)-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 26.08.2026 को कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड के कर्मचारी सौरभ कुमार द्वारा थाना लालगंज पर तहरीर दी गई कि जल जीवन मिशन के कार्य हेतु कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई मोटरसाइकिल रजि0 नं0 UP72 BP 9408 को दिनांक 26.08.2026 की शाम करीब 07:00 बजे लालगंज अझारा स्थित HDFC बैंक के सामने कार्यालय के पास से अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया। तहरीर के आधार पर थाना लालगंज पर मु0अ0सं0 335/2026 धारा 303(2) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना लालगंज प्रभारी निरीक्षक श्री आलोक कुमार के नेतृत्व में दिनांक 27.08.2026 को उ0नि0 भुवाल सिंह यादव मय उ0नि0 राम नरेश, का0 आलोक कुमार, रि0का0 अमरेश यादव एवं रि0का0 नीरज यादव क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 02 अभियुक्तों को 1-हरिकेश वर्मा पुत्र छोटेलाल, निवासी ग्राम ताजपुर पूरे तिलकराम, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 35 वर्ष, 2-सूरज वर्मा पुत्र बैजनाथ वर्मा, निवासी ग्राम तेलियानी बाजार कोठा नेवढ़िया, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 28 वर्ष को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ भवराम बोझी नहर रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। थाना लालगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 335/2026 धारा 303(2) बीएनएस में गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है। पूछताछ में दोनों ने मोटरसाइकिल को दिनांक 26.08.2026 की शाम HDFC बैंक, लालगंज के पास से चोरी करना तथा आज उसे बेचने के उद्देश्य से ले जाना स्वीकार किया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1-हरिकेश वर्मा पुत्र छोटेलाल, निवासी ग्राम ताजपुर पूरे तिलकराम, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 35 वर्ष।

2-सूरज वर्मा पुत्र बैजनाथ वर्मा, निवासी ग्राम तेलियानी बाजार कोठा नेवढ़िया, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 28 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 भुवाल सिंह यादव मय उ0नि0 राम नरेश, का0 आलोक कुमार, रि0का0 अमरेश यादव एवं रि0का0 नीरज यादव थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रतापगढ़ पुलिस अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए आमजन की सुरक्षा एवं संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।